



347

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**  
**अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002**  
**(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-737/2945

रायपुर, दिनांक 16/12/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
 मंत्रालय, महानदी भवन  
 नया रायपुर

**विषय: - Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4 - lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh-reg.**  
**पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/28920/ 2017**

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-89/ 2018-NGP/4979 दिनांक 14.02.2019
  2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्र./ एफ 05-31/ 2018/ 10-2 दिनांक 14.03.2019
  3. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक/ 3173 दिनांक 06.12.2022

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा Rehabilitation and Upgrading to 4 - lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 के लिए एकबा 24.585 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भ पत्र-2 द्वारा प्राप्त हुई है।

उक्त के अनुक्रम में सैद्धांतिक स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसका बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

SN	Conditions	Compliance
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
ii	Compensatory afforestation over the degraded forest land, twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency;	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े नारंगी क्षेत्र 51.256 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 3,70,39,659/- कैम्पा मद में दिनांक 16.05.2019 से जमा किया गया है। कैम्पा पत्रक संलग्न है। (संलग्नक-2)
iii	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के दर पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 3,70,39,659/- जमा की गई है एवं अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)

SN	Conditions	Compliance
iv	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09-05-2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007/FC dated 05.02.2009 in this regard;	आवेदक विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि रुपये 15390210/- कैम्पा मद में दिनांक 16.05.2019 से जमा किया गया है। कैम्पा पत्रक संलग्न है। (संलग्नक-4)
v	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि रुपये 15390210/- कैम्पा मद में दिनांक 16.05.2019 से जमा किया गया है एवं आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
vi	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred CAMPA through e-challan in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned;	आवेदक विभाग से प्राप्त समस्त राशि कैम्पा मद में नियमानुसार जमा किया गया है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
vii	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
viii	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
ix	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
x	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
xi	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक -11)
xii	The reclamation of quarry should be done under the	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन

SN	Conditions	Compliance
	supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
xiii	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
xiv	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
xv	The User Agency shall prepare and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A Plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval;	आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं है, लेख किया गया है (संलग्नक-15)
xvi	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
xvii	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
xviii	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
xix	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
xx	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)
xxi	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval on the Central Government.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
xxii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
xxiii	The existing carriageway in the forest area, in the patches corresponding to re-alignments, shall be dismantled and land shall be handed over back to the State Forest Department. A reclamation plan by planting suitable species of trees be prepared in	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-23)

350

SN	Conditions	Compliance
	consultation with the Forest Department and the amount so required will be deposited with the forest department by the user agency for taking up reclamation of the area, Exact extant of area to be recovered may be reported. A copy of plan so prepared shall be submitted to Regional Office, Nagpur.	
xxiv	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	आवेदक विभाग के द्वारा वृक्ष विदोहन हेतु वन मंडलाधिकारी के मांग अनुसार राशि वन मंडल के पी.डी. खाता में जमा किया गया है। कैम्पा पत्रक से इनकी पुष्टि होती है।
xxv	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	आवेदक विभाग के द्वारा एवीफौना योजना हेतु वन मंडलाधिकारी के मांग अनुसार राशि रुपये 33,63,215/- जमा किया गया है। (संलग्नक-24)
xxvi	Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 shall be submitted in accordance with the provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 5.07.2013 and documentary evidences in support of settlement of rights as stipulated in clauses (a) of the Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 5.07.2013 viz, copies of records of meetings and consultations with the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level Committee shall be submitted before Stage-II approval.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-25)
xxvii	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-26)
xxviii	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-27)
xxix	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation ,protection and development of forests & wildlife;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-28)

SN	Conditions	Compliance
xxx	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-29)
xxxi	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-30)

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार  
03 प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/115-737/ 2946  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 16/12/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टेण्ड, जिला बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)  
छत्तीसगढ़



402

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-737/2492

रायपुर, दिनांक 28/11/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: — **Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4 Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.**

- संदर्भ:- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-31/ 2018/ 10-2 दिनांक 04.01.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक/ 3000 दिनांक 20.10.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा वांछित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

बिंदु क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित शर्त क्र. 7 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में दिये गये निर्देशों/प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विस्तृत विवरण देते हुए Panal NPV प्राप्त किया जाना है किंतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित पालन प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 7 में केवल आवेदक संस्थान से वचन पत्र लिया जाकर प्रेषित किया गया है। कृपया भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित उपरोक्त शर्त क्र. 7 में दिये गये निर्देशों के पालन में FCA Voilation हेतु दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही कर विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. 7 में दिये गये निर्देश के पालन में FCA Voilation पर संबंधित परिक्षेत्राधिकारी बिलासपुर, तखतपुर एवं रतनपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर योजना अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 15 में प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ Soil conservation की प्रति चाही गई है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा प्रदायित वचन पत्र में मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। कृपया शर्त क्र. 15 के पालन हेतु Soil conservation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।	वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल के स्थल निरीक्षण दिनांक 10.10.2023 के प्रतिवेदन अनुसार :- Further, it is to note that soil used for embankment and other road construction activities is carrying from approved borrow area outside ROW. The embankment slopes are protected with either grass turfing/geocell/stone pitching etc. Similarly cross drainage structures are protected by boulder apron at abutment slope and flooring. More over there is side drains on either edges of

216

		road for smooth drain out of surface water.  It is therefore, and in line with our earlier submission intimated that no specific soil conservation plan is required in the instant case, due to stated reason.
3	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 23 में Reclamation plan बनाया जाकर उसकी एक प्रति भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर भेजने के निर्देश दिये गये हैं किंतु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है। कृपया शर्त क्र. 23 के पालन हेतु Reclamation plan की प्रति प्राप्त कर भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को प्रेषित करने हेतु, इस विभाग को प्रेषित करें।	वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल के स्थल निरीक्षण दिनांक 10.10.2023 के प्रतिवेदन अनुसार :— The existing Forest area falls under the category of Revenue Forest. Prior to diversion of the said forest land and realignment under new 4 lane road, the old existing carriageway was passing through villages namely Turkadih, Sambalpur, Belmundi, saida, Melnadih & Ratanapur etc.  Even after operation of new 4 lane divided carriageways, the earlier existing roads at these corresponding bypass locations are being used by local villagers, for their day today purposes using it to reach their cultivated land, children to go to school and civic works. The sarpanch/Mukhi of those Gram panchayats has appealed this office to retain these roads without demolishing for continual use of public/villagers (copy of letters attached).  It is therefore in the interest of local villagers and in line with submission of District Administration, these roads may be retained and accordingly no reclamation plan for planting suitable species is required.
4	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 24 के अनुसार वृक्ष विदोहन से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्राप्त किया जाना था किंतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित पालन प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 24 में वृक्ष विदोहन की राशि जमा किये जाने संबंधित कैम्पा पत्रक प्रेषित किया गया है। कृपया भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 24 के अनुरूप आवेदक संस्थान से समुचित वचन पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 24 के पालन में आवेदक संस्थान से प्राप्त वचन पत्र संलग्न है। (पेज क्रमांक 50)
5	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 25 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुक्रम में चाही गई अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्राप्त नहीं की गई है। कृपया उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 25 के पालन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुक्रम में चाहे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर बिलासपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदक संस्थान को कार्यालयीन पत्र क्र./453 दिनांक 23.01.2023 द्वारा लेख किया गया है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न है। (पेज क्रमांक 18 से 49)

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त से प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

408

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-737/2493  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 23/11/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टेण्ड, जिला बिलासपुर

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़